

न्यायालय मुंसिफ, बलिया

दिवानी वाद सं०- 09/18

09/12/2019

दिनांक- 11/11/2019 को दाखिल कागजात के आलोक में प्रतिवादी की ओर से एक leave आवेदन दाखिल किया गया। प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा वह वादी को किसी भी तरह का प्रतिउत्तर का मौका देना जरूरी नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वाद बिंदू के गठन के उपरांत वादी के द्वारा अब तक कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वादी प्रतिवादी का यह आवेदन स्वीकृत किया जाता है। यह किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

अतः वादी का अनुमति आवेदन दिनांक- 11/11/2019 को दाखिल कागजातों को अभिलेख पर लाने का स्वीकार किया जाता है तथा उन कागजातों को अभिलेख पर लाया जाता है वाद दिनांक-21.12.2019..... वादी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

लेखापित

मुंसिफ